(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 53 / 2022

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ (प्रार्थी)

बनाम

1. श्री भगवान दास क्षैतिजा उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री साबूराम क्षैतिजा (विक्रेता एवं कारोबारकर्ता) निवासी विवेकानन्द पार्क रोड कोटा बारॉ रोड बारॉ मैसर्स शारदा एन्टरप्राईजेज कोटा रोड बारॉ (राज.)
2. श्रीमती लीला देवी पत्नि श्री भगवान दास क्षैतिजा उम्र 57 वर्ष (विक्रेता एवं मालिक) निवासी विवेकानन्द पार्क रोड कोटा बारॉ रोड बारॉ मैसर्स शारदा एन्टरप्राईजेज कोटा रोड बारॉ (राज.)
3. श्री योगेश शर्मा पुत्र श्री प्रेम कुमार उम्र 28 वर्ष (विक्रेता एवं मालिक) निवासी श्रीजी का चौक वार्ड नं0 23 बारॉ (राज.) मैसर्स श्री श्याम ट्रेडर्स प्रताप चौक बारॉ (राज.)
4. श्री भगवान दास क्षैतिजा उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री साबूराम क्षैतिजा (विक्रेता एवं कारोबारकर्ता) निवासी विवेकानन्द पार्क रोड कोटा बारॉ रोड बारॉ (राज.)
5. श्री विशाल पुत्र श्री बाबूलाल निवासी जे0 15 उर्वसी नगर बडवाह पश्चिम निमाड मध्यप्रदेश 451115 मैसर्स– Gangwal Flour Food LLP Unit 2, Khasar No. 626/2, 626/3 Gram Mutkheda The. Halod Dist. Indore 453115 (नोमिनी निर्माता फर्म)
6. मैसर्स– Gangwal Flour Food LLP Unit 2, Khasar No. 626/2, 626/3 Gram Mutkheda The. Halod Dist. Indore 453115 (निर्माता फर्म)

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (II)/52 एफएसएसएक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोविन्द सहाय गुर्जर खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– श्री बृजेश नागर अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 16.12.2022

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये श्री अरूण सक्सेना, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.03.2022 को मैसर्स शारदा एन्टरप्राईजेज कोटा रोड बारॉ (राज.) जिला बारॉ (राज.) पर पहुंचा। वहॉ श्री मेघराज प्रजापत पुत्र शंकरलाल प्रजापत(विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.03.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ व मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया एवं श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक /एच/एफएसएसए/(एफ–28)नोटिफिकेशन/2012/172 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझे बास सील संख्या 84 आवंटित किया गया है और अधिसूचना कमांक एफएसएस/नोटिफिकेशन/2012/437 दिनांक 09.01.2012 के अनुसार बारॉ जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियॉ इस्तगासे के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:58:09 IST
Reason: SelfAttested

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ खमण ढोकला इंस्टेंट मिक्स (गंगवाल ब्रांड) 500 ग्राम मूल पौली का बैचान कर रहा था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ खमण ढोकला इंस्टेंट मिक्स (गंगवाल ब्रांड) 500 ग्राम मूल पौली में मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ खमण ढोकला इंस्टेंट मिक्स (गंगवाल ब्रांड) 500 ग्राम मूल पौली की 04 मूल पौली पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदी, जिसकी कीमत श्री भगवानदास क्षैतिजा पुत्र श्री साबूराम क्षैतिजा (विक्रेता व कारोबारकर्ता) को 320/– रूपये (अक्षरे तीन सौ बीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ खमण ढोकला इंस्टेंट मिक्स (गंगवाल ब्रांड) 500 ग्राम मूल पौली के 04 नमूना भागो को प्लास्टिक के डिब्बो मे मूल ही डालकर प्रत्येक पर नमूना भाग के नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1376 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1376 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री भगवानदास क्षैतिजा पुत्र श्री साबूराम क्षैतिजा (विक्रेता व कारोबारकर्ता) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/46(4)/2022/63 दिनांक 18.04.2022 से ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट नं. 584/PHL/Kota/Act/2022/585 दिनांक 11.04.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ खमण ढोकला इंस्टेंट मिक्स (गंगवाल ब्रांड) 500 ग्राम मूल पौली खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत मिथ्याछाप (Mis Branded) होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:58:09 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दिनांक 31.10.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक के उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत नही किया जाकर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण मे अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा जिस खाद्य पदार्थ पदार्थ खमण ढोकला इंस्टेंट मिक्स (गंगवाल ब्रांड) 500 ग्राम मूल पौली को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत मिथ्याछाप (Mis Branded) होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि हम इस प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत नही कर अंतिम रूप से निस्तारण करवाना चाहते है। खाद्य पदार्थ खमण ढोकला इंस्टेंट मिक्स (गंगवाल ब्रांड) 500 ग्राम मूल पौली मे किसी प्रकार की कोई कमी नही पाई गई है मात्र पैकिंग पर छोटी सी त्रुटि पाई गई है। अतः कम से कम जुर्माना किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई कार्यवाही बन्द की जावे।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 584/PHL/Kota/Act/2022/585 दिनांक 11.04.2022 से असन्तुष्ट थे, तो अप्रार्थी क्रम 01 को जरिये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये किन्तु अप्रार्थी क्रम 01 द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थी क्रम 01 से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ खमण ढोकला इंस्टेंट मिक्स (गंगवाल ब्रांड) 500 ग्राम मूल पौली खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 584/PHL/Kota/Act/2022/585 दिनांक 11.04.2022 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की 3(1)(zf)(C)(i) के तहत मिथ्याछाप (Mis Branded) होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी क्रम 5 व 6 को प्रकरण मे कुल जुर्माना राशि 25,000/- रूपये (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) की जुर्माना राशि के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:58:09 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)